बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांकः–13 अक्टूबर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के दौरान उपयोग किये जाने वाले ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का प्रथम रैंडमाइजेशन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रथम रैंडमाइजेशन के माध्यम से प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) में सही पाये गये ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट को विधानसभावार यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। प्रथम रैंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल EVM Management System -EMS के माध्यम से संपन्न होता है। इससे संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के Manual on Electronic Voting Machine में वर्णित है, जो भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट https://www.eci.gov.in/evm-vvpat पर उपलब्ध है।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में प्रथम चरण के लिए राज्य के 18 जिलों में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्य दिनांक 11.10.2025 को पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण के सभी 20 जिलों यथा पश्चिम चम्परण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सितामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर के 122 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रथम रैंडमाइजेशन आज दिनांक 13.10.2025 को संपन्न हुआ।

इस दौरान सभी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया था एवं उनकी उपस्थिति में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्य संपन्न किया गया।

प्रथम रैंडमाइजेशन पूर्ण होने के उपरांत, विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं उपस्थित दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची सभी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। इस सूची के अनुसार ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारियों को आगामी निर्वाचन में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इसके उपरांत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित स्ट्राँग रूम में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भंडारित कर दिया जाएगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिये जाने के उपरांत, प्रथम रैंडमाइजेशन में चयनित ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की सूची अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

****